UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

फतेहगढ़ पुलिस

उत्तर प्रदेश पुलिस

प्रेस नोट- थाना कायमगंज

दिनांक :- 04.10.2025

थाना कायमगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 49/2025 धारा- 3(1) गैगस्टर एक्ट से सम्बन्धित 25000/- रूपये के वांछित इमानिया अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय कुमार व क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री राजेश द्विवेदी के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कायमगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय की विवेचना मु0अ0सं0 49/25 धारा 3(1) गैगस्टर एक्ट थाना कम्पिल जनपद फर्रूखाबाद से सम्बन्धित 25000/- रू0 के वांछित इनामिया गैग0 अभियुक्त को 01 अदद नाजायज तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1.विजय प्रताप उर्फ करू पुत्र जयनन्दन निवासी ग्राम सिरसा थाना कम्पिल जनपद फर्रूखाबाद

घटना का विवरण:- थाना कायमगंज पुलिस द्वारा आज दिनांक 04.10.25 को मुखबिर खास की सूचना पर थाना स्थानीय की विवेचना मु0अ0सं0 49/25 धारा 3(1) गैगस्टर एक्ट थाना कम्पिल जनपद फर्रूखाबाद से सम्बन्धित 25000/- रू0 के वांछित इनामिया गैग0 अभियुक्त विजय प्रताप उर्फ करू उपरोक्त को 01 अदद नाजायज तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार कर बरामदगी के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 245/25 धारा 3/25 ए एक्ट बनाम विजय प्रताप उर्फ करू उपरोक्त के विरूद्ध पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है

पूछताछ का विवरण अपने बयान अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष देना बताया गया।

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 अदद नाजायज तमंचा 315 बोर
2. 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 141/2003 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कम्पिल
2. मु0अ0सं0 142/2003 धारा 216ए भा0द0वि0 थाना कम्पिल
3. मु0अ0सं0 119/12 धारा 147/148/149/307/332/353/324/325/34 भा0द0वि0 व 7CLA
4. मु0अ0सं0 129/2012 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कम्पिल
5. मु0अ0सं0 02/13 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कम्पिल
6. मु0अ0सं0 140/13 धारा 3/4 गुण्डा अधिनियम थाना कम्पिल(निवारक कार्यवाही)
7. मु0अ0सं0 28/15 धारा 147/148/149/307/379/411/353 भा0द0वि0 व 7 सीएलए एक्ट थाना
8. मु0अ0सं0 155/15 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना कम्पिल
9. मु0अ0सं0 284/16 धारा 147/148/149/307/332/353/323/504/506 भा0द0वि0 व 7 सीएलए
10. मु0अ0सं0 377/16 धारा 2/3 गुण्डा एक्ट थाना कम्पिल(निवारक कार्यवाही)
11. मु0अ0सं0 44/2017 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना कम्पिल
12. मु0अ0सं0 186/21 धारा 147/148/149/307/332/353 भा0द0वि0 व 7 सीएलए एक्ट थाना
13. मु0अ0सं0 50/24 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट थाना कम्पिल जनपद फर्रूखाबाद
14. मु0अ0सं0 245/25 धारा 3/25 ए एक्ट थाना कायमगंज जनपद फर्रूखाबाद

गिरफ्तार करने वाली थाना कायमगंज पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 नागेन्द्र सिंह
2. व0उ0नि0 सुरजीत सिंह
3. का0 सचिन कुमार
4. का0 विजय गुर्जर
5. का0 विनीत कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़।

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना अमृतपुर

दिनांक 04.10.2025

थाना अमृतपुर पुलिस द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में अभियोग में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी अमृतपुर श्री संजय वर्मा के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान एवं **मिशन शक्ति 5.0 अभियान** के क्रम में थाना अमृतपुर पर पंजीकृत मु0अ0स0 34/2025, धारा 137 (2)/87 BNS से सम्बन्धित अभियुक्त श्यामवीर पुत्र सुखवासी निवासी ग्राम आसमपुर थाना अमृतपुर जनपद फर्रूखाबाद को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का नाम व पता:-

1. अभियुक्त श्यामवीर पुत्र सुखवासी निवासी ग्राम आसमपुर थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण:- वादी की पुत्री को दिनांक -13.04.2025 को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध मे थाना अमृतपुर पर मु0अ0स0 34/2025 धारा 137 (2)/87 BNS बनाम श्यामवीर आदि 04 नफर पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम मे मुखबिर की सूचना पर अभियोग मे नामित अभियुक्त श्यामवीर पुत्र सुखवासी को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अपने बयान अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष देना बताया गया।

अभियुक्त श्यामवीर का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 34/2025, धारा 137 (2)/87 BNS थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली थाना अमृतपुर पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री विमल कुमार
2. का0 शिवम कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़।

मिशन शक्ति 5.0

PS-KADRIGATE

मिशन शक्ति 5.0

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

PS-KAMPIL

1090 Women Power Line

महिला सहायता एवं सुरक्षा चक्र
1090
181
1076
112
1098
102
108

मिशन शक्ति 5.0

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

PS-AMRITPUR

महिला सहायता एवं सुरक्षा चक्र: 1090, 181, 1076, 112, 1098, 102, 108

1090 Women Power Line

मिशन शक्ति 5.0

FATEHGARH POLICE

थाना कमालगंज

मिशन शक्ति 5.0

FATEHGARH POLICE

थाना शमसाबाद